6

ARey 2558/04
25/8/04

XXX-Part.—21

रूप क्रमांक 2
(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण-पत्र

क्रमांक ग्वा०सं०/ 9053,

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री स्वामी जी महाराज जन सहयोग-शिक्षा समिति, समिति जो कुन्जन पुरा दतिया, तहसील दतिया जिला दतिया में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 17-08-2004 को पंजीयित की गई है।

दिनांक सत्रह माह अगस्त सन् ~~2001.~~ 2004.

रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज ग्वालियर संभाग मुद्रा

समितियों के रजिस्ट्रार
(एम. जे. कुरैशी)
सहायक पंजीयक
फर्मे एवं संस्थाएँ ग्वालियर संभाग ग्वालियर

SSM Ram Anamaya
World School Datia (M.P.)
Principal

7

जा० 2221
15/12/23

प्रारूप - सात

(नियम 11 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973(क. 44 सन 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. सोसायटी का पूरा नाम और पूरा पता — श्री स्वामी जी महाराज जन सहयोग शिक्षा समिति कंजनपुरा दतिया (म0प्र0)

मोबाईल नम्बर तथा ई मेल आई डी — मोबाईल नम्बर 9425121684, ई-मेल आई.डी richamudgall@gmail.com

2. पंजीयन कमांक तथा तारीख — रजिस्ट्रेशन क्रमाक. 9053, पंजीयन दिनांक 17.08.2004

3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख — साधारण सभा की बैठक दिनांक 14.07.2023

4 विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल तारीख 14.07.2023 से तारीख 13.07.2026 तक

(वर्तमान कार्यकारिणी की सूची)

कमांक	नाम, पिता पति का नाम	पता	मोबाईल नं	धारित पद	मुख्य उपजीविका	हस्ताक्षर
1	श्री प्रणव ढेंगुला श्री एच के ढेगुला	कुंजनपुरा दतिया म.प्र.	9425709991	अध्यक्ष	एडवोकेट	
2	श्री अनोज कुमार दुवे श्री आर एन दुवे	सिरोल जिला दतिया म.प्र.	8959590825	उपाध्यक्ष	शिक्षाविद् पदपूर्ति	Anoj
3	डॉ रिचा मुदगल श्री प्रणव ढेंगुला	कुंजनपुरा दतिया म.प्र.	9425121684	सचिव	शिक्षाविद्	
4	श्रीमती नमिता मुदगल श्री विपिन विहारीमुदगल	दतिया म.प्र.	7000156036	कोषाध्यक्ष	गृहणी	Namita
5	डॉ. गौरव मिश्रा श्री रमेशचंद मिश्रा	थाटीपुर ग्वालियर म.प्र.	8305756505	संयुक्तसचिव	डॉक्टर	
6	श्रीमती केशर देवी श्री रामसेवक	ईदगाह मोहल्ला दतिया	8959590826	सदस्य	गृहणी	केसर
7	श्रीमती सुजाता श्री देवेन्द्र सिंह	हमीरपुर दतिया म.प्र.	8959590821	सदस्य	गृहणी	सुजाता

नोट:-म0प्र0 सो0 र0 अधि0 1973 की धारा-29 के अन्तर्गत सत्य नकल

SSM Ram Anamaya World School Datia (M.P.) Principal

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र 44 सन 1973) की धारा 27 के अधीन ....रूपये की वार्षिक फीस, ऑनलाईन चालान दिनांक- ----------------------के माध्यम से जमा कर दी गई है, उसकी प्रति संलग्न है चालान आईडेन्टिफिकेशन नंबर (CIN)--है।

अध्यक्ष का घोषणा पत्र

मै श्री प्रणव ढेंगुला पुत्र / पुत्री / पत्नि श्री एच के ढेंगुला आयु लगभग 48 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मै यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मै उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी रहूँगा।

दिनांक 14.07.2023

हस्ताक्षर

नाम- श्री प्रणव ढेंगुला

पदनाम -अध्यक्ष

मोबाईल नंबर 9425709991

ई मेल आई डी pranavdhengula1@gmail.com

म0प्र0 सो0र0 अधि0 1973 की
धारा 29 के अन्तर्गत जारी नकल
[illegible]
9053 दिनांक 17/8/04 ... नाम से दिनांक
प्रस्तुत मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
धारा 27 की जानकारी की प्रतिलिपि हेतु धारा 29
दिनांक 28/7/23 को आवेदन प्रस्तुत किया
धारा 27 के तहत प्रस्तुत शासी निकाय की सूची की वैधानिकता
के संबंध में प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी है। कार्यालय
... धारा 29 के तहत केवल प्रतिलिपि मात्र जारी की गई है।
29 के तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधानिकता
... प्रमाण-पत्र आदेश नहीं है।

असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें
ग्वालियर-चंबल संभाग
ग्वालियर (म.प्र.)

SSM Ram Anamaya ... Datia (M.P.)
Principal

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये — Rs. 100

रु. 100 — ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CC 217108

श्री स्वामी जी. महाराज ग्रा. सहयोग शिक्षा समिति दतिया

9053 दिनांक 17/8/04 के नाम से दिनांक 28/11/23

प्रस्तुत मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, [illegible] की धारा 27 की जानकारी की प्रतिलिपि हेतु धारा 29 के तहत दिनांक 28/11/23 को आवेदन प्रस्तुत किया गया, धारा 27 के तहत प्रस्तुत शासी निकाय की सूची की वैधानिकता संबंध मे प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी है। कारण धारा 29 के तहत केवल प्रतिलिपि मात्र जारी की गई है। धारा 29 के तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधानिकता के संबंध में प्रमाण-पत्र आदेश नहीं है।

15.12.23

अति. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
ग्वालियर-चंबल संभाग
ग्वालियर (म.प्र.)

SSM Ram Anamaya World School Datia (M.P.)
Principal

10

ARU/3005/04
27/9/04

प्रारूप क्रमाक- 1
समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन पत्र
(देखिये नियम 3)

(1) समिति का नाम : श्री स्वामी जी महाराज जन सहयोग शिक्षा समिति
(2) समिति का पंजीयन कार्यालय :कुन्जन पुरा दतिया म0प्र0
(3) समिति के उद्देश्य निम्न लिखित रहेगें:

1 शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक विघालयो का संचालन करना एवं उच्चशिक्षा के विकास के लिऐ कॉलेजो का संचालन करना।हिन्दी अग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना व उर्दू मदरसा, पाठशाला एवं संस्कृत विधालय एवं महा विधालयो का संचालन करना।तथा उच्चशिक्षा हेतु अध्ययन केन्द्रों का संचालन करना।

2 तकनीकी शिक्षा संस्थान,कॉलेज,आई टी आई केन्द्र एव कम्प्युटर शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोलना व उनका संचालन करना।

3 अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति पिछडा वर्ग अल्पसख्यक,शहरिया, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण,कृषक,गन्दीबस्ती झुग्गी झोपडी निवासीयों के कल्याणार्थ तथा पीडित प्रताडित एवं अन्धे लंगडे लूले बहरे तथा जरूरतमंद नेत्रहीन एवं विकलांगों के कल्याण हेतु शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना उच्चशिक्षा हेतु महाविधालय का संचालन करना तथा विधि शिक्षा,व्यवसायिक उच्चशिक्षा,बीएड,बीफार्मा, बीपीएड,डीफार्मा ,कला एवं वाणिज्य एवं मेनेजमेंट में स्नातक एवं स्नोतकोत्तर कोर्सो का संचालन करना।फिजीकल उच्चशिक्षा,संगीत शिक्षा तथा पुस्तिकालय की शिक्षा देना ।ग्रामीण विकास कार्यकम का संचालन करना।

4 बी एड,बी टी आई व अन्य प्रशिक्षा संस्थान उच्चशिक्षा नर्सिंग, सहचिकित्सा एवं अन्य पाठयकम प्रोढ शिक्षा हेतु कॉलेजो का संचालन करना एवं कैरियर संबंधी परामर्श प्रदान करना ।विधि परामर्श देना।

5 जागरूकता शिविरों युवाओं के विकास के लिये प्रतियोगिताओं, कम्प्युटरीकृत शिक्षा व प्रशिक्षण एवं सेमीनार सम्मेलन,प्रर्दशनी, मेला तथा शिविरों,स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन करना ।माताऐं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य कल्याण एवं टीकाकरण की जानकारी एवं परिवार नियोजन तथा संकामक रोगों की रोकथाम करने हेतु कार्य करना।स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन करना।

6 निराश्रितों के कल्याणार्थ बृद्वाआश्रम का संचालन करना एवं कुष्ठ नियंत्रण नशा मुक्ति हेतु कार्य करना तथा जनहित में शिविर ,गोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन करना तथा शिविर लागाना ।

7 अंधे, लंगडे, लूले एवं विकलांगों के कल्याणार्थ शिक्षण, प्रशिक्षण, पुर्नवास केन्द्रों का संचालन करना।निराश्रित, विधवा एवं वृद्वा आश्रमों का संचालन करना ।बालश्रमिकों के कल्याणार्थ शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुर्नवास केन्द्रों का संचालन करना। अनाथालय बालसम्प्रेशण ग्रह का संचालन करना।

8 खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोयजन एवं संचालन करना ,तथा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरुष्कृत एवं सम्मानित करना।

9 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, शौर्ट हैण्ड एवं टायपिंग, कम्प्यूटर, पेन्टिंग, हस्तशिल्प एवं परीक्षा पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण कोचिंग,संगीत प्रशिक्षण, पेन्टिंग,सिलाई, कढ़ाई बुनाई,प्रशिक्षण केन्द्र झूलाघर बालवाडी एवं प्रौढ शिक्षा केन्द्र तथा वाचनालय पुस्तकालय का संचालित करना।

10 पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन व संचालन करना एवं जलसंबर्द्धन हेतु कार्य करना,गोशाला खोलना । उपभोक्ताओ को जागरूक हेतु कार्यकमों का संचालन करना

SSM Ram Anamaya World School Datia (M.P.) Principal

नियमावली

(1) संस्था का नाम — श्री स्वामी जी महाराज जन सहयोग शिक्षा समिति

(2) संस्था का कार्यालय — कुन्जन पुरा दतिया म0प्र0

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

(4) संस्था के उददेश्य

1 शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक विघालयो का संचालन करना एवं उच्चशिक्षा के विकास के लिऐ कॉलेजो का संचालन करना।हिन्दी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना व उर्दू मदरसा, पाठशाला एवं संस्कृत विद्यालय एवं महा विधालयो का संचालन करना।तथा उच्चशिक्षा हेतु अध्ययन केन्दो का संचालन करना।

2 तकनीकी शिक्षा संस्थान,कॉलेज,आई टी आई केन्द्र एवं कम्प्युटर शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोलना व उनका संचालन करना।

3 अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति पिछडा वर्ग अल्पसंख्यक,शहरिया, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण,कृषक,गन्दीबस्ती झुग्गी झोपडी निवासीयों के कल्याणार्थ तथा पीडित प्रताडित एवं अन्धे लंगडे लूले बहरे तथा जरूरतमंद नेत्रहीन एवं विकलांगों के कल्याण हेतु शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना उच्चशिक्षा हेतु महाविधालय का संचालन करना तथा विधि शिक्षा,व्यवसायिक उच्चशिक्षा,बीएड,बीफार्मा, बीपीएड,डीफार्मा ,कला एवं वाणिज्य एवं मेनेजमेंट में स्नातक एवं स्नोतकोत्तर कोर्सो का संचालन करना।फिजीकल उच्चशिक्षा,संगीत शिक्षा तथा पुस्तिकालय की शिक्षा देना ।ग्रामीण विकास कार्यकम का संचालन करना।

बी एड,बी टी आई व अन्य प्रशिक्षा संस्थान उच्चशिक्षा नर्सिंग, सहचिकित्सा एवं अन्य पाठयकम प्रोढ शिक्षा हेतु कॉलेजो का संचालन करना एवं कैरियर संबधी परामर्श प्रदान करनां ।विधि परामर्श देना।

5 जागरूकता शिविरों युवाओं के विकास के लिये प्रतियोगिताओं, कम्प्युटरीकृत शिक्षा व प्रशिक्षण एवं सेमीनार सम्मेलन,प्रर्दशनी, मेला तथा शिविरों,स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन करना ।माताऐं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य कल्याण एवं टीकाकरण की जानकारी एवं परिवार नियोजन तथा संकामक रोगों की रोकथाम करने हेतु कार्य करना।स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन करना।

6 निराश्रितों के कल्याणार्थ बृद्धाआश्रम का संचालन करना एवं कुष्ठ नियंत्रण नशा मुक्ति हेतु कार्य करना तथा जनहित में शिविर ,गोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन करना तथा शिविर लागाना ।

7 अंधे, लंगड़े, लूले एवं विकलांगों के कल्याणार्थ शिक्षण, प्रशिक्षण, पुर्नवास केन्द्रों का संचालन करना।निराश्रित, विधवा एवं वृद्धा आश्रमों का संचालन करना ।बालश्रमिकों के कल्याणार्थ शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुर्नवास केन्द्रों का संचालन करना। अनाथालय बालसम्प्रेशण ग्रह का संचालन करना।

8 खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यकमों का आयोयजन एवं संचालन करना तथा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरूष्कृत एवं सम्मानित करना।

9 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, शॉर्ट हैण्ड एवं टायपिंग, कम्प्यूटर, पेन्टिग, हस्तशिल्प एवं परीक्षा पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण कोचिंग,संगीत प्रशिक्षण,

पेन्टिंग,सिलाई,कढ़ाई बुनाई,प्रशिक्षण केन्द्र झूलाघर बालबाडी एवं प्रौढ शिक्षा केन्द तथा वाचनालय पुस्तकालय का संचालित करना।

10 पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम एव वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन व संचालन करना एवं जलसंबर्द्धन हेतु कार्य करना,गोशाला खोलना ... को जागरूक हेतु कार्यकमो का संचालन करना।

5 सदस्यता :– संस्था में निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगें:–

(अ) संरक्षक सदस्य :–

संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप मे 5000/– रूपये या अधिक एक मुश्त या एक साल मे बारह किश्तो मे देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) आजीवन सदस्य :–

जो व्यक्ति संस्था को सदस्यता शुल्क के रूप मे 2500/– रूपये या अधिक देगा वह सस्था का आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य 2500/– रूपये देकर सस्था का संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्य :–

जो व्यक्ति 10/– रूपये प्रतिमाह तथा 120/–रूपये प्रति वर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधी के लिऐ रहेगा जिसके लिए उसने सदस्यता शुल्क का भुगतान किया हो, जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के 6 माह तक सदस्यता शुल्क नहीं देता है उसकी सदस्यता समाप्त हो जायगी। ऐसे सदस्य द्वारा सदस्यता के लिए नया आवेदन–पत्र देने तथा बकाया शुल्क राशि पुनः भुगतान करने पर सदस्यता प्रदान की जा सकती है।

(द) सम्मानीय सदस्य :–

संस्था के प्रबधकारिणी द्वारा किसी भी विशिष्ट या सम्मानीय व्यक्ति को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्यता प्रदान की जा सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक मे भाग ले सकते है। परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

SSM Ram Anamay ... Datia (M.P.) Principal

(6) सदस्यता की प्राप्ति :—

प्रत्येक व्यक्ति जो समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो उसे लिखित रूप से आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा, जिसे आवेदन - पत्र स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

(7) सदस्य की योग्यता :—

संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :—

(अ) आयु 18 वर्ष से कम न हो,

(ब) भारतीय नागरिक हो,

(स) समिति के नियमों को पालन करने की प्रतिज्ञा की हो,

(द) पागल न हो या अन्य प्रकार से अयोग्य न हो,

(इ) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

(8) सदस्यता की समाप्ति :—

किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जाएगी :—

(क) मृत्यु हो जाने पर

(ख) पागल हो जाने पर

(ग) संस्था को देय सदस्यता शुल्क नियम 5 में बताये अनुसार जमा न कराने पर ।

(घ) त्याग पत्र देने पर और उसके स्वीकार होने पर

(ङ) चरित्रदोष होने पर और प्रबधकारिणी समिति के निर्णय अनुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना उक्त सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

(9) संस्था के कार्यालय में सदस्यों की पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगें :—

असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज ग्वालियर संभाग, ग्वालियर

SSM Ram Anamaya World School Datia (M.P.) Principal

(अ) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय तिथि
सहित हस्ताक्षर

(ब) वह तारीख जिस दिन सदस्यो को प्रवेश दिया गया हो
और रसीद नम्बर ।

(स) वह तारीख जिस दिन सदस्यो की सदस्यता समाप्त हुई है.

(10) (अ) साधारण सभा :–

साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगें । साधारण सभा की बैठक आवश्यकता अनुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचित करेगी, बैठक कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नही किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्ग दर्शन में पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा ।

(ब) प्रबंधकारिणी समिति :–

प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व प्रबंधकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजना आवश्यक होगा । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जा कर उसी स्थान पर उसी दिन पुन: की जा सकेगी कोरम की कोई शर्त न होगी।

————कमशः

SSM Ram Anand World School Datia
Principal

(स) विशेष :— यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यो द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजी जावेगी। पंजीयक को इस संबंध मे आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :—

क– संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण, प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

ख– संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

ग– आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

घ– अन्य ऐसे विषयों पर विचार जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।

ड– संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं का आय – व्यय पत्रकों को स्वीकृति करना।

च– बजट का अनुमोदन करना।

(12) प्रबंधकारिणी का गठन :—

ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेगें । नियम 5 (अ.ब.स.) मे दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा :–

(1)	अध्यक्ष	एक
(2)	उपाध्यक्ष	एक
(3)	सचिव	एक
(4)	कोषाध्यक्ष	एक
(5)	संयुक्तसचिव	एक
(6)	सदस्य	दो

SSM Ram Anamaya Datia (M.P.) Principal

(13) प्रबंधकारिणी का कार्यकाल :—

प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ठ कारण होने पर उस समय तक जब तक की नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, वर्तमान प्रबंध समिति कार्य करती रहेगी किन्तु उक्तअवधि 6 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य है ।

(14) प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :—

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवसाय करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय– व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भी भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना एवं उनकी सेवा नियमों तथा उपनियमों तथा उपनियमों को बनाना एवं उनकी सेवा संबंधी समस्त प्रबंध व अधिकार प्रबंधकारिणी के अधीन रहेगा।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय समय पर सौंपे जाये करने की जिम्मेदारी प्रबंधकारिणी पर रहेगी।

(च) संस्था के समस्त चल अचल सम्पत्ति प्रबंधकारिणी के नाम से रहेगी।

SSM Ram Anamaya World School Datia (M.P.) Principal

(छ) संस्था द्वारा की भी स्थावर सम्पत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नही की जायेगी ।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान मे संशोधन किये जाने से प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कोई सदस्य 2/3 मत में संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

(15) अध्यक्ष के अधिकार :–

अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्तबैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगी।

(16) उपाध्यक्ष के अधिकार :–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारो का उपायोग करेंगा ।

(17) सचिव (मंत्री) के अधिकार :–

(1) साधारण सभा की बैठक समय – समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना ।

(2) समिति का आय व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितताएं पाऐ जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 5000/– खर्च करने का अधिकार होगा ।

SSM Ram Anamaya World School Dakia (M.P.) Principal

(18) संयुक्त सचिव के अधिकार :–

सचिव की अनुपस्थिति मे प्रबधकारिणी की बैठक बुलाना और आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना सचिव के समस्त अधिकारों का उपयोग करना।

(19) कोषाध्यक्ष के अधिकार :–

समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

(20) बैंक खाता:–

संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक / राष्ट्रीयकृत बैंक / पोस्ट ऑफीस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष, सचिव याकोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा ।दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 5000/–रहेगें ।

(21) पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :–

संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित विधि से कार्यकारिणी समिति की सूची रजिस्ट्रार के पास फाइल की जावेगी, तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था का परीक्षित लेखा भेजा जावेगा ।

(22) संशोधन :–

संस्था के विधान में संशोधन साधारणसभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतो से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था केहित में उसके पंजीकृत विधान मे संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा ।

(23) विघटन–

संस्था का विघटन साधारणसभा में कुल सदस्यों के 3/5 मतों से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उददेश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

SSM Ram Anamaya World School Datia (M.P.) Principal

(24) सम्पत्ति :–

संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की चल सपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं की लिखित अनुज्ञा के बिना विकय द्वारा,दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नही की जा सकेगी।

(25) पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना –

संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संसथाएं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

(26) विवाद –

संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से उभय पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगें । रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित संस्थाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति में विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

प्रमाणित प्रतिलिपि

27-09-04

R.N. 9053

Date 17.8.04

एम. जे. कुरैशी
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर

&

SSM Ram Ananya World School Datia (M.P.)
Principal